

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-276/2010  
 संस्थित दिनांक-01.04.2010  
 फाईलिंग क्र.234503000812010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

1—तरुण कुमार पिता किशोर ठाकुर, उम्र-35 वर्ष,  
 निवासी—वार्ड नं-7, कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—चिखलेश पिता स्व. मिश्रीलाल पंचतिलक, उम्र-32 वर्ष,  
 निवासी—वार्ड नं-7, कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—चिन्टू उर्फ विक्रमसिंह ठाकुर पिता किशोर ठाकुर, उम्र-30 वर्ष,  
 निवासी—वार्ड नं-7, कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

**आरोपीगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-12/08/2015 को घोषित)**

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 341, 323/34, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-05.02.2010 को करीब 3:45 बजे थाना बैहर अंतर्गत बस स्टैण्ड बैहर में लोकस्थान पर फरियादी लवी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी लवी का रास्ता रोककर उस दिशा में जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, निवारित कर सदोष अवरोध कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत लवी को लकड़ी, स्टम्प व शॉकअप से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-05.02.2010 को फरियादी लवी अपनी फोर व्हीलर से बालाघाट से बैहर आ रहा था, तभी ग्राम मोहबट्टा के पास एक मोटरसाईकिल से दो लड़के आए, जिनसे साईड मांगने पर उन्होंने बैहर तक उसे साईड नहीं दिया और बैहर में गाड़ी खड़ी की तो फरियादी लवी ने गाड़ी खड़ी कर उनसे पूछा कि साईड क्यों नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं देखा था और माफी मांगते हुए आरोपी तरुण ठाकुर वहां से चला गया था। बाद में थोड़ी देर में विक्रम ठाकुर व चिखलेश आए और मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर बोले कि बहुत दादा बनता है और एक लकड़ी आरोपी तरुण ने उसके सिर के बाएं तरफ मारा एवं चिखलेश ने एक लकड़ी सिर में पीछे की ओर तथा विक्रम ने उसके दोनों पैरों में मारा, जिससे उसे चोट आने से खून निकल रहा था। बन्दू उर्फ मनीष बेदी एवं आबिद अली ने उसका बीच-बचाव किया। उक्त मारपीट से फरियादी लवी जमीन में गिर गया था। आरोपीगण उसे जाते-जाते कह रहे थे कि इस बार तो बच गया, अगली बार जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी निकेश उर्फ लवी द्वारा थाना बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-11/10, धारा-294, 323, 506 (भाग-2) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध धारा-341 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 341, 323/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-05.02.2010 को करीब 3:45 बजे थाना बैहर अंतर्गत बस स्टेण्ड बैहर में लोकस्थान पर फरियादी लवी को अश्लील शब्द

उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी लवी का रास्ता रोककर उस दिशा में जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत लवी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत लवी को लकड़ी, स्टम्प व शॉकअप से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी लवी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

### **विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-**

5— फरियादी निकेश उर्फ लवी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग 4-5 माह पूर्व दिन के 4:00 बजे बैहर की है। वह घटना दिनांक को अपनी कार से बालाघाट से बैहर आ रहा था, तो आरोपीगण जो अपने वाहन से आए थे, उन्होंने उसे एक-दो बार कट मारे। आरोपीगण ने तलवार, लोहे की रॉड, शॉकअप की रॉड से उसके सिर और दाहिने पैर में मारा था, जिससे उसका पैर फ्रेक्चर हो गया था। आरोपीगण के साथ और अन्य एक-दो लोग भी आए थे, जिनका नाम वह नहीं जानता। आरोपीगण उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे, जो उसे सुनने में बुरी लगी। उसका डाक्टर परीक्षण बालाघाट एवं नागपुर में हुआ था, उसी दौरान उसके पैर में फ्रेक्चर हो गया था, जो वह नहीं दे पाया।

6— प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने क्या-क्या गाली थी, उसे नहीं मालूम। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपीगण ने उसे माँ-बहन की गालियां दी थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में उसके द्वारा लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 के अनुरूप कथन किये हैं। इस साक्षी ने उसे आरोपीगण के द्वारा मारपीट किये जाने से पैर में फ्रेक्चर हो जाने के कथन किये हैं, किन्तु अभियोजन की ओर से आहत निकेश के पैर में फ्रेक्चर होने के संबंध में एक्सरे रिपोर्ट पृथक से पेश नहीं की है।

7- आहत निकेश उर्फ लवी का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर एन.एस. कुमारे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-05.02.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक ज़ामसिंह क्रमांक-80 के द्वारा आहत नितेश पिता नेलसन, उम्र-23 वर्ष निवासी वार्ड नं-4 बैहर को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसके परीक्षण करने पर आहत को कटी-फटी चोट एवं घाव सिर के पीछे एवं सिर के बाईं ओर पाया था। एक खरोंच दाईं जांघ के बाहर की ओर पाया था। उसने आहत की तीनों चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। आहत की सिर की एक्सरे प्लेट का निरीक्षण करने पर कोई अस्थिभंग नहीं पाया था तथा जांघ की एक्सरे आर्टिकल ए-1 के लिए उसे अस्थि रोग विशेषज्ञ बालाघाट की राय प्राप्त करने के लिए भेजा था। आहत की मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। इस प्रकार इस साक्षी ने आहत निकेश उर्फ लवी को साधारण चोट कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु आहत के जांघ पर कथित अस्थिभंग होने की पुष्टि नहीं की गई है और न ही अभियोजन की ओर से ऐसा चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश किया गया है।

8- मनीष बेदी (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना किस तारीख है, उसे जानकारी नहीं है। घटना दिनांक को वह लवी और एक अन्य लड़के के साथ कार से बालाघाट से बैहर आ रहा था, तभी आरोपी चिकलेश अन्य लड़के के साथ मोटरसाईकिल से ग्राम मोहबट्टा में मिला था, जो साईड नहीं दे रहा था। घटना के समय आरोपी चिकलेश शराब पीए हुए था। बस स्टैण्ड बैहर में लवी ने आरोपी चिकलेश को समझाया तो वह चला गया था। फिर थोड़ी देर बाद आरोपी चिकलेश अपने साथ अन्य 6 लोगों के साथ आया और वे लोग लोहे की राड और हाथ-मुक्कों से लवी को मारने लगे, जिससे लवी का सिर फट गया था और घुटने में चोटें आई थी। फिर उन लोग उसे उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर उठाकर ले गए। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9- उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने फरियादी/आहत निकेश उर्फ लवी के कथन का समर्थन करते हुए चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में साक्ष्य पेश की है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। साक्षी ने अपनी



साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत निकेश उर्फ लवी को मारपीट कर उपहति कारित करने की पुष्टि की है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रवि मिश्रा (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-16.02.2010 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध क्रमांक-11/2010, धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रधान आरक्षक भाउलाल पारधी ने लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसमें प्रधान आरक्षक भाउलाल पारधी के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। विवेचना के दौरान मनीष की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही मनीष बेदी, लवी उर्फ नीतेश, आबिद अली, के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-11.02.2010 को आरोपी चिखलेश से साक्षियों के समक्ष एक लकड़ी जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के माध्यम से जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी तरुण से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार एक स्टम्प जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी चिंटू उर्फ विक्रम से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार एक शॉकअप की राड जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में फरियादी/आहत निकेश उर्फ लवी (अ.सा.2) की साक्ष्य अखंडित रही है एवं उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा साक्षी मनीष (अ.सा.1) ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में इस तथ्य का समर्थन किया है कि आरोपीगण ने घटना के समय आहत निकेश को मारपीट कर उपहति कारित की थी। आहत निकेश का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टर

एन.एस. कुमरे (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय आहत निकेश को साधारण प्रकृति की चोट कारित हुई थी। इसके अलावा विवेचना अधिकारी के द्वारा मामलों में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया गया है।

12— उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण ने मिलकर आहत निकेश उर्फ लवी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में की गई मारपीट के परिणाम स्वरूप उक्त आहत को उपहति कारित हुई है। इस प्रकार घटना के समय आरोपीगण का निश्चित ही आहत निकेश उर्फ लवी को साधारण उपहति करने का आशय विद्यमान था तथा वे उक्त संभावना को जानते थे, जिस कारण आरोपीगण का उक्त कृत्य आहत निकेश उर्फ लवी को स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

13— अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने आरोपीगण द्वारा घटना के समय फरियादी निकेश उर्फ लवी का रास्ता रोकने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं और न ही फरियादी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में कोई कथन किये हैं। प्रकरण में प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी निकेश का रास्ता रोककर उक्त मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस प्रकार मामलों में आरोपीगण द्वारा फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

14— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि घटना के समय आरोपीगण के द्वारा फरियादी निकेश उर्फ लवी को लोकस्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित किया और आहत निकेश को मारपीट कर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे लकड़ी, स्टम्प व शॉकअप से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है। इस प्रकार आहत निकेश उर्फ लवी को कारित उपहति के अपराध हेतु सभी आरोपीगण समान रूप से उत्तरदायी हैं।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी निकेश उर्फ लवी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं जान से मारने की

धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

16— अभियोजन ने यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी निकेश को लोकस्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित किया और आहत निकेश उर्फ लवी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत निकेश को लकड़ी, स्टम्प व शॉकअप से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

17— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

18— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

19— मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपीगण मामले में वर्ष 2010 से लगातार विचारण का सामना कर रहे हैं। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 323/34 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/— (पांच सौ रुपये) एवं 1000/— (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड

से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 323/34 के अपराध के अंतर्गत एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

20- मामले में आरोपीगण अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

21- आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

22- प्रकरण में जप्तशुदा एक स्टम्प, एक लकड़ी का डण्डा, एक शॉकअप मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट